रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/95 REGISTERED No. DL—33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 5, 1995 (श्रावण 14, 1917)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5, 1995 SRAVANA 14, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	695
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	695
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	9
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	973
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निर्यातक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	713
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	699
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	1291
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	107
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	695
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	695
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	9
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	973
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	713
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	699
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1281
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	107
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Follos not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसंगत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून, 1995

संकल्प

फा० सं० 1/69/92-स्वा० नि० ब्यू० (समन्वय)—भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-1 खण्ड-1, में प्रकाशित तारीख 10-8-1993 के संकल्प के अनुसरण में औषध दुरुपयोग की समस्या के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं की बोधगम्य समीक्षा करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया तथा दिनांक 11-3-94, 14-7-94, 20-9-94, 2-12-94, 19-1-95 और 21-4-95 के अनुवर्ती संकल्पों के द्वारा समिति का कार्यकाल 30-6-95 तक बढ़ाया गया था। भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस समिति के कार्यकाल को 31-7-95 तक आगे बढ़ाया जाता है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को परिचालित की जाए तथा भारत सरकार के राजपत्र में सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित की जाए।

ए० के० श्री वास्तव
संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून, 1995

संकल्प

सं० 24-1/94-फसल प्रशासन-2—भारत सरकार ने दिनांक 31 अक्तूबर 1991 के संकल्प संख्या 24-1/91 फसल प्रशासन-2 के द्वारा गठित भारतीय गन्ना विकास परिषद् का तत्काल प्रभाव से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित परिषद् में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. अध्यक्ष	भारत सरकार द्वारा नाम जद किया जाने वाला एक गैर सरकारी व्यक्ति।
2. उपाध्यक्ष	कृषि आयुक्त, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।
3. सदस्य	
क. संसद सदस्य	संसद के तीन सदस्य, दो लोक सभा के तथा एक राज्य सभा से जो संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामजद किए जाएंगे।
ख. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	निम्नलिखित राज्य सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि जो गन्ना विकास कार्य को देखने वाले विभाग से हो, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किए जाएगा।
	1. आंध्र प्रदेश
	2. बिहार
	3. हरियाणा
	4. कर्नाटक
	5. महाराष्ट्र
	6. पंजाब
	7. तमिलनाडु
	8. उत्तर प्रदेश
	9. असम
	10. गुजरात
	11. उड़ीसा
ग. केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि	1. सलाहकार (कृषि), योजना आयोग।
	2. संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।
	3. वित्तीय सलाहकार नागरिक आपूर्ति विभाग।
	4. संयुक्त सचिव (विस्तार), कृषि और सहकारिता विभाग।
	5. सहायक महानिदेशक (सी० सी०) भा० कृषि अ० परिषद्।
	6. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ।
	7. निदेशक गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर।
	8. मुख्य निदेशक (चीनी) खाद्य मंत्रालय।
	9. प्रबंधक निदेशक नाबार्ड अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति।

घ. उत्पादकों के प्रतिनिधि

(क) निम्नलिखित गन्ना उत्पादक राज्यों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किए जाने वाले उत्पादकों का एक प्रतिनिधि :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. हरियाणा
4. कर्नाटक
5. महाराष्ट्र
6. पंजाब
7. तमिलनाडु
8. उत्तर प्रदेश
9. असम
10. गुजरात
11. उड़ीसा

(ख) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि : भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाला उत्पादकों का एक प्रतिनिधि

ङ. उद्योग के प्रतिनिधि

1. भारतीय चीनी मिल संघ का एक प्रतिनिधि ।
2. राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल परिसंघ का एक प्रतिनिधि ।
3. गुड़ और खांडसारी से संबंधित एक प्रतिनिधि (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला)

च. व्यापार के प्रतिनिधि

निम्नलिखित स्थानों पर स्थित प्रत्येक चीनी व्यापारी संघ का एक-एक प्रतिनिधि :

1. बम्बई
2. कानपुर
3. कलकत्ता
4. प्रमुख राज्यों के वाणिज्यिक और उद्योग मंडलों का एक-एक प्रतिनिधि
5. प्रमुख राज्यों के भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल परिसंघ का एक-एक प्रतिनिधि

छ. मजदूरों के प्रतिनिधि (i) फार्मों में कार्यरत—एक (ii) कारखानों में कार्यरत-एक } राज्य सरकारों से लिए जाते हैं

ज. ऐसे अन्य व्यक्ति जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित किए जाएं

4. सदस्य सचिव

निदेशक गन्ना विकास निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग केन्द्रीय सरकार कार्यालय भवन हाल सं० 331–332 (तीसरी मंजिल) हापुड़ रोड चुंगी, कमला नेहरू नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

5. प्रेक्षक

(जो परिषद् के सदस्य नहीं होंगे बल्कि परिषद् के विचार-विमर्श में सहायता करने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे) ।

1. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम अथवा उनका प्रतिनिधि ।
1. कृषि विपणन सलाहकार ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि ।
2. वित्तीय सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय ।
3. निदेशक, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर या उसका प्रतिनिधि ।
4. अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि ।
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का प्रतिनिधि ।

2. परिषद् एक सलाहकार निकाय होगी और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

1. गन्ना और चुकन्दर के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना और गन्ना तथा चुकन्दर के उत्पादन को बढ़ाने के उपायों को सिफारिश करना ।
2. गन्ना और चुकन्दर के उत्पादन तथा विपणन एवं कारखाना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने से संबंधित समस्याओं पर विचार करना और इन मामलों के संबंध में सरकार को सलाह देना ।
3. घरेलू तथा निर्यात मंडियों में गन्ना और चुकन्दर की विभिन्न किस्मों की मांग पर विचार करना तथा गन्ना और चुकन्दर उत्पादन कार्यक्रमों में तदनुसार आवश्यक व्यवस्था करने के संबंध में सरकार को सलाह देना ।
4. गन्ना और चुकन्दर के उत्पादन के संबंध में छोटे तथा सीमांत किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और उन्हें पूरा करने के लिए उचित उपाय करने हेतु सुझाव देना ।
5. गन्ना और चुकन्दर से संबंधित अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम के बीच समन्वय करना और गन्ना और चुकन्दर की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकताओं के बारे में सलाह देना, और
6. आवश्यक समझे जाने वाले अन्य संबंधित मामलों पर समय-समय पर सरकार को सलाह देना ।

3. परिषद् को विशेष मामलों पर विचार करने के लिए स्थायी समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति स्थापित करने तथा विशेष प्रयोजनों के लिए आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य विशेष हितों के प्रतिनिधियों जैसे सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा ।

4. परिषद् की बैठक समय-समय पर गन्ना और चुकन्दर उत्पादक क्षेत्रों तथा व्यापार एवं उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में होगी और भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

5 परिषद तब तक काम करती रहेगी जब तक सरकार के संकल्प द्वारा इसे समाप्त न किया जाए। परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद में उनके नामित होने की तिथि से तीन वर्ष होगा बशर्ते भारत सरकार के विशेष आदेश द्वारा इस अवधि को घटाया या बढ़ाया न जाए।

6 संसद के सदस्यों में से नामित किए गए परिषद के सदस्य सांसद न रहने पर परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे।

7. सरकारी निकायों जैसे समितियों, परिषदों आदि में काम कर रहे संसद सदस्य ऐसी निकायों की बैठकों में भाग लेने पर समय-समय पर संशोधित संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यात्रा दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मालती एम० सिन्हा
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1995

सं० एफ 10-6/94-यू 5—भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की नियमावली और संघ ज्ञापन के नियम 3 और 9 के अन्तर्गत भारत सरकार ने निम्नलिखित सामाजिक वैज्ञानिकों को प्रत्येक के सामने दी गई अवधि तक तत्काल से परिषद के सदस्यों के रूप में नामित किया है :—

1. प्रो० वाई० मदन गांधी, राजनीति विज्ञान, एम० डी० विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा—124001। — 31 मार्च, 1998 तक
2. प्रो० सुश्री मीरू हजारिका, लोक प्रशासन, गुवाहाटी विश्वविद्यालय—781014। — 31 मार्च, 1990 तक
3. प्रो० (सुश्री) डी जी० मोदी, शैक्षिक मनोविज्ञान, भावनगर विश्वविद्यालय, गौरी शंकर लेक रोड, भावनगर—364002। — 31 मार्च, 1998 तक
4. प्रो० ए० वैद्यानाथन, विकास अध्ययन संस्थान मद्रास, 79, द्वितीय मेन रोड गांधीनगर, अडयार, मद्रास। — 31 मार्च, 1998 तक
5. प्रो० मिहिर रक्षित, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में अर्थशास्त्र, भारतीय सांखियकी संस्थान, 203, बैरकपुर ट्रंक रोड, कलकत्ता—700035। — 31 मार्च, 1998 तक
6. प्रो० एम० जुबेरी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, एच० एन० 110, न्यू कैम्पस, नई दिल्ली। — 31 मार्च, 1998 तक

दुर्गा दास गुप्ता
निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 30th June 1995

RESOLUTION

F. No. I/69/92-NCB (COORD).—In continuation of the Resolution dated 10-8-1993 published in Part-1, Section-1 of the Gazette of India Extraordinary, constituting a High Level Committee to undertake a comprehensive review of the present arrangements for dealing with the various aspects of the problem of drug abuse, and subsequent Resolutions dated 11-3-1994, 14-07-1994, 20-9-1994, 02-12-1994, 19-01-1995 and 21-4-1995 extending the tenure of the Committee upto 30-06-1995, it has been decided by the Government of India to further extend the tenure of this Committee upto 31-07-1995.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

A. K. SRIVASTAVA
Jonit Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPTT. OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 1st June 1995

RESOLUTION

No. 24-1/94-CA. II.—The Government of India have decided to reconstitue the Indian Sugarcane Development Council set up vide Resolution No. 24-1/91-CA. II dated 31st October, 1991 with immediate effect. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I. Chairman

A non-official to be nominated by the Government of India.

II. Vice Chairman

Agriculture Commissioner to the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation).

III. Members

A MEMBERS OF PARLIAMENT

These Members of Parliament to be nominated by the Deptt. of Parliamentary Affairs, *Two* from Lok Sabha and *One* from Rajya Sabha.

B. REPRESENTATIVES OF STATE GOVTS.

One Representative each from the following State Govts. in the Deptt. dealing with Sugarcane development to be nominated by the respective State Govts.

1. Andhra Pradesh
2. Bihar
3. Haryana
4. Karnataka
5. Maharashtra
6. Punjab
7. Tamil Nadu
8. Uttar Pradesh
9. Assam
10. Gujarat
11. Orissa

C. REPRESENTATIVES OF CENTRAL GOVT.

1. Adviser (Agriculture), Planning Commission.
2. Joint Secrtary, Ministry of Commerce.
3. Economic Adviser, Deptt. of Civil Supplies.
4. Jt. Secy. (Extension), Deptt. of Agriculture & Cooperation.
5. Asstt. Director General (CC), ICAR.
6. Director, Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow.
7. Director, Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore.
8. Chief Director (Sugar), Deptt. of Food.
9. M. D., NABARD or his nominee.

D. REPRESENTATIVES OF GROWERS

(a) One representative of the Growers to be nominated by the respective State Govts. from each of the following Sugarcane growing States :

1. Andhra Pradesh
2. Bihar
3. Haryana
4. Karnataka
5. Maharashtra
6. Punjab
7. TamilNadu
8. U.P.
9. Assam
10. Gujarat
11 Orisa

(b) Representatives of Central Govt. : one representative of the growers to be nominated by the Govt. of India.

E. REPRESENTATIVES OF INDUSTRY

1. One representative of the Indian Sugar Mills Association.
2. One representative of the National Federation of Cooperative Sugarcane Factories.
3. One representative of Gur and Khandsari interest (to be nominated by the Govt. of U.P.).

F. REPRESENTATIVES OF TRADE

One representative each of the Sugar Merchants Association at :—

1. Bombay
2. Kanpur
3. Calcutta

G. REPRESENTATIVES OF FICCI AND STATE CHEMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY

Three representatives.

H. REPRESENTATIVES OF WORKERS

(i) Engaged in farms—one
(ii) Engaged in factories—one

} to be obtained from the

I. Such other persons as may, from time to time, be nominated by the Govt. of India.

IV. *Member Secretary*

Director, Dte. of Sugarcane Development, Deptt. of Agriculture & Cooperation, C.G.O. Building, Hall No. 331-332 (Third Floor), Hapur Road Chungi, Kamala Nehru Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.

V. *Observers*

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations) :

1. Agricultural Marketing Adviser Ministry of Rural Development,

or

his representative.

2. Financial Adviser, Deptt. of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture.
3. Director, National Sugar Institute, Kanpur or his representative.
4. Economics and Statistical Adviser, Ministry of Agriculture or his representative
5. A representative of the National Cooperative Dev. Corporation.

2. The Council will be an *advisory body* and will have the following functions :—

1. To consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of Sugarcane and Sugarbeet crops, review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of sugarcane and sugarbeet;
2. To consider problem relating to the production, marketing, processing, storage and transport of sugarcane and sugarbeet growers and advise Government in these matters;
3. To consider demands for different varieties of sugarcane and sugarbeet in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary adjustments in sugarcane and sugarbeet production programme accordingly;
4. To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of sugarcane and sugarbeet production and suggest suitable measures for meeting the same;

5. To facilitate coordination between research and development programme relating to sugarcane and sugarbeet and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of sugarcane and sugarbeet; and

6. To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Council will have the powers to set up Technical Committees, Standing Committees and ad-hoc Committees to look into specific issues and to co-opt members such as representative of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which Sugarcane and Sugarbeet are grown and at important centres of sugarcane and sugarbeet trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished by a resolution of the Government. The term of the Chairman and other non-official members of the Council be three years from the date on which they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by specific order of the Government of India.

6. Those members of the Council who are nominated from the Members of Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

7. Members of Parliament serving on Government bodies like Committees, Councils, etc. are entitled to get TA/DA for attending the meetings of those bodies in accordance with the provisions of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 as amended from time to time and rules made thereunder.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MALTI S. SINHA,
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 7th July 1995

No. F. 10-6/94-U.5.—Under Rules 3 and 9 of the Memorandum of Association and Rules of the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, the Government of India has nominated the following Social Scientists as members of the Council with immediate effect upto the period indicated against each :—

1. Prof. Y. Madan Gandhi, M.D. University, Rohtak,	31st March, 1998
2. Prof. Ms. Niru Hazarika, Public Administration, University of Guwahati,	31st March, 1998
3. Prof. (Ms.) D. Ji. Modi, Educational Psychology, Bhawnagar University.	31st March, 1998
4. Prof. A. Vaidyanathan, Madras Institute of Development Studies.	31st March, 1998
5. Prof. Mihir Rakshit, Economist in the ISI. 203, Barrackpore.	31st March, 1998
6. Prof. M. Zuberi, Jawaharlal Nehru University.	31st March, 1998

DURGADAS GUPTA
Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1995
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published in the Controller of Publications Delhi, 1995